(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNEMNT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION

BTE BUILDING, MUNI MAYA RAM MARG, PITAMPURA, DELHI-110034 dtehedu@gmail.com

No. 18(1)/6th SFRC/2023/7697-7714

Dated- 14/12/2023

NOTIFICATION

F. No. 18(1)/6th SFRC/2023 In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 6 of the Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and other measures to ensure Equity and Excellence) Act, 2007 and as per the recommendations of NCCSA read with Section 45 (D) (b) of the GNCTD Act (Amendment), 2023 of the Govt. of NCT of Delhi Act, 1991, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby constitutes the following Fee Regulatory Committee for the purpose of determining fee for pursuing courses in privately managed institutions offering different courses in the National Capital Territory of Delhi and to perform the functions assigned to it in the Act, consisting of the following members namely:-

1.	Chairperson	Sh. Jitendra Kumar Dadoo, IAS (Retd.)
ii.	Member	Chartered Accountant of Repute (nominated by Chairperson)
iii.	Member	A representative of Medical Council of India or All India Council of Technical Education depending on institution, as the case may be.
iv.	Member	Prof.(Dr.) G.S. Bajpai, Vice Chancellor, National Law University, Delhi
V.	Member	Secretary (Department of Training and Technical Education)
vi.	Member	Secretary (Department of Health and Family welfare)
vii.	Member-Secretary (ex-officio)	Secretary (Directorate of Higher Education)

The term of above Committee shall be three years commencing from the date following this notification and the term of Chairperson and members shall be co-terminus with the term of the Committee.

By Order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.

(R. Alice Vaz) Secretary (Higher Education)

No. 18(1)/6th SFRC/2023/7697-7714

Dated- 14/12/2023

- Principal Secretary to Hon'ble Lt. Governor Raj Niwas Delhi-110054
- 2. Secretary to Hon'ble CM, Govt. of National Capital Territory of Delhi
- 3. Secretary to Hon'ble Minister (Higher Education), Govt. of National Capital Territory of Delhi
- Member Secretary, NCCSA / Additional Chief Secretary (Home), 5th Level Delhi Secretariat, Delhi
- 5. Sh. Jitendra Kumar Dadoo, IAS (Retd.)
- Chairman, Medical Council of India (Now-National Medical Commission), Pocket 14, Sector-8, Dwarka Phase-I, New Delhi-110077.
- 7. Chairman, All India Council of Technical Education, Nelson Mandela Marg, New Delhi
- 8. Prof.(Dr.) G.S. Bajpai, Vice Chancellor, National Law University, Delhi
- 9. Secretary, Training & Technical Education, Govt. of National Capital Territory of Delhi
- 10. Secretary, Health & Family Welfare, Govt. of National Capital Territory of Delhi
- 11. Secretary, Law & Justice, Govt. of National Capital Territory of Delhi
- 12. Secretary, Higher Education, Govt. of National Capital Territory of Delhi
- 13. Vice Chancellor, GGSIP University, Sector 16-C, Dwarka, New Delhi
- 14. All the Institutes affiliated to GGSIPU, Delhi
- 15. PS to Director, Directorate of Higher Education, Govt. of National Capital Territory of Delhi.
- System Analyst, DHE with the directions to upload the Notification on website of the Directorate.
- 17. Guard File

(R. Alice Vaz) Secretary (Higher Education)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार उच्च शिक्षा निदेशालय मुनी मायाराम मार्ग, बीटीई कम्पलैक्स, पीतमपुरा, दिल्ली-34

फा.स0.डीएचइ.18(1) / 6th एसएफआरसी / 2023 / 7697-7714

दिनॉक 14.12.2023

अधिसूचना

फा.स0.डीएचइ.18(1)/6th एसएफआरसी/2023 दिल्ली व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्थान (प्रतिषेध शुल्क का निषंद्ध प्रवेश के विनियमन, एवं शोषण रहित शुल्क का निर्धारण और समानता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के अन्य उपाय) अधिनियम. 2007 की धारा 6 की उप—धारा (1) तथा राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण अधिनियम (संशोधित), 2023 की धारा 45 (डी) (बी) जोकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली अधिनियम 1991, यथा संशोधित, की धारा 45 ई तथा 45 एच के साथ पढ़ी जाए, के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा दिल्ली में विभिन्न पाठ्यकमों को करवाने वाले निजी प्रबंधाधीन संस्थाओं में पाठय्कम अध्ययन करने के लिए शुल्क निर्धारित करने और अधिनियम के अन्तर्गत सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए निम्नलिखित शुल्क नियामक समिति का गठन किया गया जाता है, अर्थात

1.	अध्यक्ष	श्री जितेन्द्र कुमार दादू, आईएएस (सेवानिवृत्त)
2.	सदस्य	प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटैंट (अध्यक्ष द्वारा नामांकित)
3.	सदस्य	प्रतिनीधि, मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय तकनीकी
		शिक्षा परिषद से संस्था पर निर्भर, जैसा भी हो
4.	सदस्य	प्रो0 (डा0) जी.एस. बाजपेयी,उप–कुलपति, नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, दिल्ली
5.	सदस्य	सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
6.	सदस्य	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
7.	सदस्य सचिव, (पदेन)	सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग

समिति का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक रहेगा। अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा ।

> दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर

> > -(आर.एलिस वाज़) सचिव (उच्च शिक्षा)

फा.स0.डीएचइ.18(1) / 6th एसएफआरसी / 2023 / 7697-7714

दिनॉक 14.12.2023

प्रधान सचिव, मान्नीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली–54

- 2. सचिव, मान्नीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-02
- 3. सचिव, मान्नीय उच्च शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-02
- पदेन सचिव, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण अधिनियम/अतिरिक्त मुख्य सचिव, (गृह), पांचवॉ तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002

5. श्री जितेन्द्र कुमार दादू आईएएस (सेवानिवृत्त)

- अध्यक्ष, मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया (वर्तमान में राष्ट्रीय मेडीकल कमीशन), पॉकेट-14, सैक्टर-8, द्वारका, फेज-1, नई दिल्ली-110077
- 7. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेल्सन मंडेला मार्ग, दिल्ली-87
- 8. प्रो0 (डा0) जी.एस. बाजपेयी,उप-कुलपति, नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, दिल्ली
- 9. सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, बीटीई बिल्डिंग, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा कम्पलैक्स, दिल्ली-34
- 10. सचिव, स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-02
- 11 सचिव, विधि एवं न्याय, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-02
- 12. सचिव, उच्च शिक्षा, बीटीई बिल्डिंग, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा कम्पलैक्स, दिल्ली-34
- 13 उप-कुलपति, गुरू गोबिद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय सैक्टर-16सी, द्वारका, नई दिल्ली
- 14. गुरू गोबिद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय तथा तकनिकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध सभी संस्थान ।
- 15. निजी सचिव, निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग
- 16. सिस्टम विश्लेषक, अधिसूचना को विभाग की वैबसाईट पर अपडेशन हेतु ।
- 17. गार्ड फाईल ।

(अन्र एलिस वाज) सचिव (उच्च शिक्षा)